राजस्थान सरकार
निदेशालय बाल अधिकारिता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी–3/1 ए, अम्बेड़कर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(1)(208)/मुबाअ/सान्याअवि/13/433 — जयपुर, दिनांक: 26/05/2013

आदेश

पालनहार योजना संचालन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 25.04.2007 को जारी "पालनहार योजना संचालन हेतु संशोधित नियम, 2007" आदेश संख्या 48595 दिनांक 07.08.2007, आदेश संख्या 3514 दिनांक 27.01.2010, आदेश संख्या 25816 दिनांक 30.04.2010 एवं आदेश संख्या 16901 दिनांक 03.03.2011 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते है:–

1. नियम संख्या 2– परिभाषा के उपनियम संख्या (7) में निम्नानुसार वाक्यांश जोडा जाता है:–

   "विशेष योग्यजन पेंशन हेतु पात्र माता–पिता के बच्चों के लिए विशेष योग्यजन माता अथवा पिता पालनहार होंगे। निराश्रित पेंशन हेतु पात्र तलाकशुदा व परित्यकता महिला के बच्चों के लिये तलाकशुदा व परित्यकता महिला माता स्वयं पालनहार होगी।"

2. नियम संख्या 2– परिभाषा के उपनियम संख्या (7) के बाद उपनियम संख्या (8) निम्नानुसार जोडा जाता है:–

   "विशेष योग्यजन माता एवं / या पिता अभ्यर्थी का आशय 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का निःशक्तता प्रमाण पत्र धारी विशेष योग्यजन माता एव पिता से है।"

3. नियम संख्या 3– पात्रता के उपनियम संख्या (7) के बाद उपनियम संख्या (8) व (9) निम्नानुसार जोडा जाता है:–

   (8) "विशेष योग्यजन माता एवं / या पिता के सभी बच्चे जो उनके साथ रहते हों तथा माता एवं / या पिता की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।"

   (9) "तलाकशुदा व परित्यक्ता महिला के सभी बच्चे जो अपनी माता के साथ रहते हों तथा उनकी वार्षिक आय 1.20 लाख से कम होनी चाहिए"

यह आदेश वित्त विभाग की अन्तर्विभागीय टीप संख्या 101204328 दिनांक 26.11.2012 से प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में प्रसारित किये जा रहे है।

प्रमुख शासन सचिव

25/5/13

C:\Documents and Settings\User\Desktop\Letters.doc

दूरभाष नम्बर– 01412226640 फैक्स नम्बर– 01412220336 ई–मेल–ccosjerajasthan@gmail.com

क्रमांक : एफ 14(1)(208) / मुबाआ / सान्याअवि / 13 / 435-615 जयपुर, दिनांक: 26/05/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. महालेखाकार, लेखा व हक, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य / प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / चिकित्सा विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
5. उपशासन सचिव, वित्त (व्यय – II) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, ...
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद ....
8. मुख्य लेखाधिकारी / संयुक्त निदेशक (आयोजना), मुख्यावास।
9. सहायक निदेशक, प्रचार–प्रसार एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मुख्यावास, जयपुर को वास्ते उचित प्रचार–प्रसार।
10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...
11. जिला बालक अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
12. उपनिदेशक / सहायक निदेशक / जिला समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...
13. अधीक्षक, राजकीय किशोर गृह / सम्प्रेक्षण गृह / सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह / बालिका गृह / अपचारी बालिका गृह / विशेष गृह / शिशु गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ...।
14. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त

C:\Documents and Settings\User\Desktop\Letters.doc

दूरभाष नम्बर– 01412226640 फैक्स नम्बर– 01412220336 ई–मेल–ccosjerajasthan@gmail.com